न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—77 सन् 2014

सत्येन्द्र राय वगैरह..........................वादी।

बनाम

विनय कुमार सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 16.10.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख आवेदक की ओर से आदेश 01 नियम 10 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 21.08.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदन का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0 02 शिव पारसी प्रसाद राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को अपने कानूनी वारिसान आवेदन में लिखित को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में वादी सं0 02 का नाम इस वाद में कलमजद होना वो आवेदकगण का नाम इस वाद में वादी के खाने में दर्ज होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि आवेदकगण को इस वाद में वादी के खाने में दर्ज करते हुए वादी सं0 02 का नाम कलमजद करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त अ ावेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 18.09.2023 को दाखिल कर कथन है कि आवेदकगण की ओर से दाखिल उक्त अ ावेदन दीवानी प्रक्रिया संहित मे जिन नियमों के अंतर्गत दाखिल किया गया है वह स्वीकार होने योग्य नहीं है। जिसके कारण आवेदन काबिले खारिज के है। अतः निवेदन है कि आवेदकगण का सी0पी0सी0 के सक्षम आदेश व नियमन का अनुपालन करते हुए आवेदन दाखिल करने का निर्देश न्यायहित में पारित करें ताकि न्याय हो सके।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 02 शिव पारसी प्रसाद राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को अपने कानूनी वारिसान

आवेदकगण को छोड़कर हो गई है। आवेदकगण के आवेदन को अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी सं0 02 के मृत्यु से संबंधित को भी दस्तावेज अभिलेख पर दाखिल नहीं किया गया है तथा नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर नाम प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन भी उचित धारा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त मृत वादी सं0 02 शिव पारसी प्रसार राय का नाम कलमजद करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन दिनांक 21.08.2023 पोषणीय नहीं है।

वाद दिनांक ....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।